न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2025, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री हरिराम जाति बैरवा निवासी ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र सुवालाल जाति बैरवा निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. नन्दकिशोर पुत्र सुवालाल जाति बैरवा निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. झालू पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. राजूलाल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी पीलवा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा।
6. श्री नवनीत कुमार आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय पीठासीन अधिकारी नवनीत मीना आर. ए. एस. प्रकरण उनवानी ओमप्रकाश बनाम अशोक कुमार आदि वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 94/2024

उपस्थिति : श्री प्रदीप कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः— 19.03.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रार्थी द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में भूमि खसरा नम्बर 1074, 1075 नवीन खसरा नम्बर 3842/1518, 3841/1517, 3843/1518 3840/1517, 3844/1518 तथा 1511, 1512, 1514, 1519 3962/1515, 3963/1515 वाके ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय के सम्बन्ध में पेश किया। उक्त प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली एवं उनके व्यवहार से प्रार्थी को ऐसा प्रतीत हुआ कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण को सदोष लाभ पहुंचाना चाहते है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज करने की मंशा रखते है किन्तु प्रार्थी को यकीन उस वक्त हुआ जब गांव के कुछ लोगो ने प्रार्थी को बताया कि अप्रार्थीगण ने गांव में चन्द लोगो से कहा कि वह तारीख पेशी पर उक्त प्रकरण को खारिज करेंगे व फैसला हमारे हक में होगा। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण को सदोष लाभ पहुंचाने पर आमादा है तथा पीठासीन अधिकारी भी खुले आम कहते है कि मैं उक्त प्रकरण को आगामी पेशी पर खारिज करूंगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने जायज हक हकूक अधिकारों से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र व प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.03.20 12:46:44 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश पारिक उपस्थित आये। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की जाकर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध एक वाद उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। गांव के कुछ लोगो ने प्रार्थी को बताया कि अप्रार्थीगण ने गांव में कहा है कि पीठासीन अधिकारी तारीख पेशी पर उक्त प्रकरण को खारिज करेंगे व फैसला हमारे हक में होगा। दिनांक 15.01.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बाते करते देखा है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है। उक्त प्रकरण का फैसला हमारे हक में होगा और फैसला होते ही हम लाठी के बल पर कब्जा करके रहेंगे। यदि उपखण्ड अधिकारी एवं अप्रार्थीगण अपने कलुषित उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो जाते है तो प्रार्थी अपने जायज हक हकूक अधिकारों से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी आनन–फानन में उक्त प्रकरण का फैसला अप्रार्थीगण के पक्ष में करने पर आमादा है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि जब पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रहे तो प्रकरण की सुनवाई वहां किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाकर उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय से विचाराधीन वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण से सांठ–गांठ किये जाने के मनगढन्त झूंठे आरोप लगाये जाकर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण निरस्त फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोप झूंठे एवं बेबुनियाद होना तथा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही होना व्यक्त करते हुये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाने का निवेदन किया गया है।

उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली एवं उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ करने एवं उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवाने का आरोप अप्रार्थीगण पर लगाया गया है। जिसके सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य पेश नहीं किये गये है ना ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण में निस्तारण में विलम्ब किये जाने के उद् देश्य से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर [illegible] से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.03.20 12:46:44 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official